राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2083/2013/जोधपुर

मैसर्स नाकोड़ा ट्रेडर्स,
मण्डोरमण्डी, जोधपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत्त–ए, जोधपुर । .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम.चोपाड़ा,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा ,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :25.05.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जोधपुर–प्रथम, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक **28.10.2013** के विरूद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 27/आरवेट/जेयूए2013–14 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत्त–ए, जोधपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24(1) व 24(4) के तहत् निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 02.02.2012 के जरिये बिक्री विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति रू.5,000/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर, प्रकरण को शास्ति आरोपण से पूर्व विशिष्ट नोटिस अपीलार्थी व्यवहारी को जारी कर, कार्यवाही करने हेतु पारित अपीलीय आदेश को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को निर्धारण वर्ष 2009–10 का निर्धारण आदेश दिनांक 02.02.2012 को पारित कर, आलोच्य अवधि में बिक्री विवरणी प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत् रू.5,000/– शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा विशिष्ट नोटिस जारी करने के अभाव में आरोपित शास्ति को अपास्त कर, प्रकरण को पुनः नोटिस जारी कर, कार्यवाही करने हेतु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी हैं ।

लगातार.....2

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति आरोपित करने से पूर्व प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु कोई विशिष्ट अवसर शास्ति आरोपण से पूर्व प्रदान नहीं किया गया, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 की अवहेलना है। अतः आरोपित शास्ति न्यायोचित नहीं होने के कारण उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से आरोपित शास्ति अपास्त कर, प्रकरण को विशिष्ट नोटिस जारी कर, शास्ति आरोपण की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

33 टैक्स अपडेट 80 (आर.टी.बी.)	**33 टैक्स अपडेट 240**
4 वैट रिपोर्टर 194,	**84 एस.टी.सी. 357**
(1999) 1 एस.सी.सी. 45 (सु.को.)	**22 टैक्स अपडेट 8**
190 ई.एल.टी. 433 (सु.को.)	**104 एस.टी.सी. 65**
78 एस.टी.सी. 283	**27 टैक्स अपडेट 91**

5. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 58 के तहत् बिक्री विवरणी प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का मौका नहीं प्रदान नहीं किया गया है, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 के तहत् एवम् प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के आलोक में आवश्यक है। जैसा कि प्रकरण में माननीय राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की खण्डपीठ के निर्णय **(1990) 7 आर.टी.जे.एस 158,** मै0 गांधी मशीनरी एण्ड स्पेयर;झुंझुंनूं बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुंझुंनूं में प्रतिपादित सिद्धांत लागू किये जाने योग्य हैं जिसमें माननीय विक्रय कर अधिकरण की **खण्डपीठ** ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय **डी.बी./सिविल रिट पिटीशन**

लगातार.....7

क्रमांक 1653 मैसर्स जयपुर मेटल एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लि. बनाम् द यूनियन ऑफ इण्डिया में दिये गये **निर्णय दिनांक 05.07.82** में प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण कर, प्रकरण में सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करने की निर्धारण अधिकारी को स्वतंत्रता प्रदान की है। उक्त निर्णय का संबंधित अंश निम्न प्रकर है:–

> "The main ground alleged by the petitioner is that no notice was given to the petitioner before imposing the penalty which is a necessary requirement under Rule 54 of the Rajasthan Sales Tax Rules read with section 9 of the Central Sales Tax Act, Mr. Joshi, learned counsel appearing for the department frankly conceded and rightly so that it was necessary to give a notice to the assessee before imposing penalty. In view of this circumstance all the above three writ petitions are allowed. The impunged order (annexure-1) so far as imposing penalty is concerned is set aside. However, it is made clear that if the department chooses to do so it will be free to take fresh proceedings for imposing penalty on the assessee after giving proper notice as required under the law."

7. अतः उक्त निर्णय के प्रकाश में, बिना सूचनापत्र जारी किये अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति को अपास्त कर, प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने संबंधी पारित अपीलीय अधिकारी के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

8. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

25.5.2015

(मदन लाल)
सदस्य